न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2500/2006/बांरा

हजारी लाल पुत्र राधेश्याम जाति लोधा निवासी नगदी उर्फ सआदतपुरा तहसील छबडा जिला बांरा।

अपीलांट

बनाम

1. जिला वन अधिकारी, वन विभाग बांरा जिला बांरा।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन विभाग छबडा जिला बांरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,छबडा जिला बांरा।

रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलांट
श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 01.05.19

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–02–2006 के विरूद्ध राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89,91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमए 1955 का विरूद्ध रेस्पो0/प्रतिवादीगण इस बाबत प्रस्तुत कि ग्रम नगदी तहसील छबडा के खसरा नं0 173 रकबा 15 बीघा भूमि

का आवंटन दिनांक 19.02.1973 को अपीलांट/वादी हजारी को किया गया था। तब से निरन्तर अपीलांट/वादी उक्त रकबे पर काबिज काश्त चला आ रहा है। दिनांक 01.4.2003 को वन विभाग द्वारा वादी को बुलाया जाकर कहा गया कि उक्त रकबे की भूमि वन विभाग की भूमि है। अपीलांट/वादी ने विवादित रकबे पर प्रार्थी को खातेदार घोषित किये जाने हेतु वाद बाबत उपखण्ड अधिकारी, के न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 06. 04.2004 से आदेश पारित किया कि यदि वादी के पास कोई भूमि न हो तथा वह दो माह में राशि रू0 15000/– वन विभाग को जमा करा देता है तो उसे खसरा नंबर 173 रकबा 15 बीघा भूमि पर खातेदारी प्रदान कर दी जायेगी। उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2004 से व्यथित होकर वन विभाग द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.2.2006 से यह कहते हुये कि वन विभाग की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(10) के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते तथा वन विभाग की आराजी को नियमन/आवंटन तथा खातेदारी अधिकारी देने से पूर्व केन्द्र सरकार की अनुमति लिया जाना आवश्यक है। साथ ही यह भी कहा कि पूर्व में किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा चुका है तो उसे इस प्रकार राशि जमा करवाकर आवंटन को बहाल नहीं किया जा सकता, कहते हुये वन विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2004 को निरस्त कर दिया। न्यायालय भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के उक्त निर्णय दिनांक 22.02.2006 से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में तर्क दिया कि ग्रम नगदी तहसील छबडा के खसरा नं0 173 रकबा 15 बीघा भूमि का दिनांक 19.12.73 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट/वादी को आवंटन किया गया था तथा वक्त आवंटन से ही उक्त भूमि पर अपीलांट/वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि आवंटन के समय उक्त विवादित भूमि राजस्व विभाग की भूमि थी जिसे आवंटन करने का राजस्व अधिकारियों को पूर्ण अधिकार था। उक्त भूमि दिनांक 01.5. 1975 को वन विभाग के खाते में दर्ज की गयी उससे पूर्व ही उक्त भूमि अपीलांट/वादी को आवंटित हो चुकी थी। राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त आवंटन का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में नहीं होने के कारण उक्त दिनांक 01.5.1975 को भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज कर दी गयी। विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में आगे तर्क दिया कि उक्त विवादित भूमि अपीलांट/वादी को वर्ष 1973 में आवंटित की गई थी। आवंटन के वक्त भूमि पथरीली होने के कारण उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाने में अपीलांट /वादी ने बहुत मेहनत व समय लगाया है। अपीलांट उक्त भूमि पर मेहनत कर अपनी परिवार का पालन पोषण करता है। बहस के अंत में अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान अति0राजकीय अभिभाषक ने अपने बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजी प्रारम्भ से ही वन विभाग की खातेदारी भूमि है और परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 01.07. 75 से इसे वन विभाग की ही भूमि माना है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि वन विभाग की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(10) के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते तथा वन विभाग की आराजी को नियमन/आवंटन तथा खातेदारी अधिकारी देने से पूर्व केन्द्र सरकार की अनुमति लिया जाना

आवश्यक है। इसी प्रकार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत वन भूमि को गैर वानिकी परियोजना हेतु नहीं दिया जा सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 4ए के अनुसार भी वन विभाग की भूमि पर आवंटन/नियमन तथा खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा यह कहा जाना कि यदि अपीलांट/वादी के पास कोई भूमि न हो तथा वह दो माह में राशि रू0 15000/– वन विभाग को जमा करा देता है तो उसका आवंटन बहाल कर दिया जायेगा यह कहा जाना भी न्यायसंगत नहीं होकर विधिविरूद्ध है। अपनी बहस के अंत में विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को उक्त आधारों पर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषगण की बहस और पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात का अवलोकन और मनन किया गया।

7. पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि के सबंध में अपीलांट को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से दिनांक 13.6.75 को निरस्त किया जा चुका था और विवादित भूमि कभी भी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। विवादित भूमि वन विभाग के खाते में दर्ज चली आ रही है। आवंटित भूमि के सबंध में संबधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.4.03 के अनुसार भी अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं होना पाया गया है। वर्ष 1975 में आवंटन निरस्त होने के बाद अपीलांट द्वारा इसके लिए कोई अपील या चाराजोही नहीं की गयी और वर्षो बाद परीक्षण न्यायालय में पृथक से दावा पेश किया गया है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन पूर्णतया गलत है कि विवादित भूमि पर गत 30 से अधिक वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा हो। रेस्पो0 पक्ष के इन

कथनों से हम सहमत है कि वन विभाग की भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। वन विभाग की आराजी के नियमन/आवंटन और खातेदारी अधिकार देने से पूर्व केन्द्र सरकार की अनुमति लिया जाना आवश्यक होता है। यह भी उल्लेखनिय है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1957 के नियम 4 (1) के अनुसार भी वन विभाग की भूमि आवंटन/नियमन तथा खातेदारी के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसी प्रकार वन सरंक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत वन भूमि को गैर वानिकी परियोजना नहीं दी जा सकती है। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा अपीलांट को जो दो माह की अवधि में 15000/– रूपये जमा कराने के आदेश प्रदान किये गये थे उस अवधि में भी रेस्पो0द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करायी गयी थी और यह आदेश भी विधिसंगत नहीं था। अपीलांट को किया गया आवंटन भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है जिसको न तो वापस बहाल किया गया है और वादग्रस्त भूमियां वन विभाग की खातेदारी में दर्ज होने से न ही आगे नियमानुसार बहाल किया जा सकता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2006 विधिसंगत रूप से पारित की गयी जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य